न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 06/2016 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये सुरेन्द्र कुमार के.पी, प्रवर्तन निरीक्षक, बिजौलिया, भीलवाडा

बनाम

1. श्री नारायणदास वैष्णव पुत्र भगवानदास वैष्णव निवासी सरकारी स्कूल के पास तख्तपुरा राजगढ़ तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ

–प्रार्थी

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री कुलदीप सिंह राणावत अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.07.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 22.09.2016 को थाना मंगरोप से सूचना मिलने पर मौका स्थल पर पंहूचा। जहां पिकअप में केरोसीन से भरे हुए ढक्कन लगे 10 ड्रम लोहे के मिले। पिकअप के चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम नारायणदास वैष्णव बताया। पिकअप चालक से राशन का नीले रंग का केरोसीन परिवहन करने लाने व ले जाने के बारे में परमिट व वाउचर मांगा तो कुछ नही होना बताया। उससे केरोसीन कहां से लाने की पूछा तो उसने बताया कि आसीन्द से एक व्यक्ति के यहां से लाना बताया। मौके पर ही राशन डीलर जी.एस.एस. मंगरोप व्यवस्थापक रवि राज सिंह पुरावत से गेज व पाना मंगवाकर गाडी में रखे गये लोहे के ड्रमों में भरे केरोसीन का माप करने पर कुल 1842 लीटर नीला केरोसीन पाया गया, जिसकी कीमत 32,235/–रूपये हैं । इस प्रकार विपक्षी द्वारा 10 ड्रमों में भरकर नीला केरोसीन अन्यत्र विक्रय करने के उद्धेश्य से ले जाया जा रहा था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध श्रेणी में आता हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रकरण में कुल 1842 लीटर नीला केरोसीन जिसकी कीमत 32,235/–रूपये है को राजसात करने का आदेश किया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.09.2016 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश हुआ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

कि दिनांक 22.09.2016 को थाना मंगरोप से सूचना मिलने पर मौका स्थल पर पंहूचा। जहां पिकअप में केरोसीन से भरे हुए ढक्कन लगे 10 ड्रम लोहे के मिले। पिकअप चालक से राशन का नीले रंग का केरोसीन परिवहन करने लाने व ले जाने के बारे में परमिट व वाउचर मांगा तो कुछ नही होना बताया। उससे केरोसीन कहां से लाने की पूछा तो उसने बताया कि आसीन्द से एक व्यक्ति के यहां से लाना बताया। मौके पर ही गाडी में रखे गये लोहे के ड्रमों में भरे केरोसीन का माप करने पर कुल 1842 लीटर नीला केरोसीन पाया गया, जिसकी कीमत 32,235/–रूपये हैं । इस प्रकार विपक्षी द्वारा 10 ड्रमों में भरकर नीला केरोसीन अन्यत्र विक्रय करने के उद्धेश्य से ले जाया जा रहा था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध श्रेणी में आता हैं। निवेदन हैं कि प्रकरण में कुल 1842 लीटर नीला केरोसीन जिसकी कीमत 32,235/–रूपये है को राजसात करने का आदेश किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती व सुपुर्दगी) पर हस्ताक्षर किये एवं जुर्म स्वीकार किया । इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से कुल 1842 लीटर नीला केरोसीन का विक्रय किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये कुल 1842 लीटर नीला केरोसीन को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये कुल 1842 लीटर नीला केरोसीन को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त कुल 1842 लीटर नीला केरोसीन का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)